रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 29, 2018/भाद्र 7, 1940
No. 296] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 29, 2018/BHADRA 7, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2018

सं. 31/2015–2020

विषयः ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल की शिफ्टिंग के संबंध में।

फा. सं. 18/115/एएम–19/पी–5.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा जन हित में प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 5.04 (क) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। संशोधित पैरा नीचे दिया गया हैः–

पैरा 5.04 (क): पूंजीगत माल के अधिष्ठापन का प्रमाण पत्र

प्राधिकार पत्र धारक आयात पूरा करने की तिथि से 6 महीने के भीतर प्राधिकार–पत्र धारक के विकल्प पर, क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमाशुल्क प्राधिकारी अथवा एक स्वतंत्र सनदी अभियंता से एक प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि पूंजीगत माल को प्राधिकार–पत्र धारक अथवा उसके सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) की फैक्टरी/परिसर मे अधिष्ठापित किया गया है। क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए उक्त अवधि को 5000 रुपये की संरचना शुल्क के साथ एक बार 12 महीने की अधिकतम अवधि तक बढाने की अनुमति दे सकता है। जहां प्राधिकार–पत्र धारक स्वतंत्र सनदी अभियंता के प्रमाण पत्र का चयन करता है, वहां वह क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रमाण–पत्र की एक प्रति सूचना/अभिलेख के लिए भेजेगा। प्राधिकार पत्र धारक को सपूर्ण निर्यात दायित्व अवधि के दौरान पूंजीगत माल को प्राधिकार–पत्र धारक के आईईसी और आरसीएमसी में उल्लिखित अन्य इकाईयों में शिफ्ट करने की अनुमति होगी बशर्ते संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को शिफ्टिंग की छह महीनों की अवधि के अंदर नया अधिष्ठापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः ईपीसीजी प्राधिकार–पत्र धारकों को संपूर्ण निर्यात दायित्व अवधि के दौरान आयातित पूंजीगत माल को आईईसी और आरसीएमसी मे उल्लिखित उनकी अन्य इकाइयों में विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन शिफ्ट करने की अनुमति दी गई है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 29th August, 2018

No. 31/2015-20

SUBJECT : Regarding shifting of Capital Goods imported under the EPCG Scheme.

F.No. 18/115/AM-19/P-5.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20, the Director General of Foreign Trade in public interest hereby makes the following amendment in the Para 5.04(a) of Hand Book of Procedures 2015-20. The amended para is produced below:

Para 5.04(a): Certificate of Installation of Capital Goods

> Authorization holder shall produce, within six months from date of completion of import, to the concerned RA, a certificate from the jurisdictional Customs authority or an independent Chartered Engineer, at the option of the authorisation holder, confirming installation of capital goods at factory/premises of authorization holder or his supporting manufacturer(s). The RA may allow one time extension of the said period for producing the certificate by a maximum period of 12 months with a composition fee of Rs.5000/-. Where the authorisation holder opts for independent Chartered Engineer's certificate, he shall send a copy of the certificate to the jurisdictional Customs Authority for intimation/record. The authorization holder shall be permitted to shift capital goods **during the entire export obligation period** to other units mentioned in the IEC and RCMC of the authorization holder subject to production of fresh installation certificate **to the RA concerned within six months of the shifting**."

Effect of this Public Notice: EPCG authorisation holders are permitted to shift the capital goods imported during the entire export obligation period to their other units mentioned in the IEC and RCMC subject to conditions specified.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade Ex officio Addl. Secy.

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2018

सं. 32/2015–2020

विषय : ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्व की ब्लॉक–वार पूर्ति के बारे में क्षेत्रीय प्राधिकारियों को सूचित करने के संबंध में।

फा. सं. 18/115/एएम–19/पी–5**.—**विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा जनहित में प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

पैरा सं.	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
5.14 (ख)	प्राधिकार पत्र धारक ब्लाक पूरा होने के तीन महीने के भीतर निर्यात दायित्व की पूर्ति और औसत निर्यात के बारे में **डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके सुरक्षित इलेक्ट्रानिक फाइलिंग के द्वारा** क्षेत्रीय अधिकारी को सूचित करेगा।	प्राधिकार पत्र धारक ब्लाक पूरा होने के तीन महीने के भीतर निर्यात दायित्व की पूर्ति और औसत निर्यात के बारे में क्षेत्रीय प्राधिकारी को सूचित करेगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 5.14 (ख) को डिजिटल हस्ताक्षर के बिना क्षेत्रीय प्राधिकारियों को सूचित करने की सुविधा देने के लिए संशोधित किया गया है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार पदेन अपर सचिव

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 29th August, 2018

No. 32/2015-20

Subject : Regarding intimation to Regional Authorities about Block-wise fulfilment of EO under the EPCG Scheme.

F.No. 18/115/AM-19/P-5.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20, the Director General of Foreign Trade in public interest hereby makes the following amendment in the Hand Book of Procedures 2015-20 :

Para No.	Existing Provision	Amended provision
5.14(b)	The Authorisation holder would intimate the Regional Authority on the fulfilment of the export obligation, as well as average exports, within three months of completion of the block, **by secured electronic filing using digital signatures.**	The Authorisation holder would intimate the Regional Authority on the fulfilment of the export obligation, as well as average exports, within three months of completion of the block.

Effect of this Public Notice: The Para 5.14(b) of Hand book of Procedures 2015-20 amended to facilitate intimation to Regional Authorities without digital signature.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade Ex officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.09.05 10:53:29 +05'30'